

प्रेषक,

लीना जौहरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2005

विषय : विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1466/5-7-2003-पन्द्रह-7/2002 दिनांक 2.7. 2003 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-125/5-7-2004-पन्द्रह-07/2002 दिनांक 19 जनवरी, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरांत उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु निम्नलिखित को भी अधिकृत किया जाता है :-

(क) डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित स्टेट रैफरेल सेन्टर में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए **मानसिक विकलांगता तथा श्रवण बाधा** के सर्टिफिकेशन के लिये उक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को मुख्य चिकित्साधिकारियों की भांति अधिकृत किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ की अध्यक्षता में विकलांगता परीक्षण हेतु गठित कमेटी में 01 साइक्याट्रिक, 01 ई.एन.टी. सर्जन तथा 01 आर्थोपेडिक सर्जन सम्मिलित होगा।

(ख) **मानसिक विकलांगता तथा श्रवण विकलांगताओं** के लिये रेलवे, सेना तथा सी.जी.एच.एस. चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित विकलांगता के आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा इस स्तर पर प्रमाणीकरण के कारण पुनः विकलांगता के एसेसमेन्ट की आवश्यकता नहीं होगी। किसी प्रकारण विशेष में मेडिकल बोर्ड को उपरोक्त संस्थाओं द्वारा दिये गये एसेसमेन्ट पर यदि शंका हो तो, पुनः एसेसमेन्ट कराया जा सकेगा।

2. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

संख्या : 1745/5-7-2005- पन्द्रह-07/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विकलांगता कल्याण अनु-1 उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र., लखनऊ।
3. निदेशक, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मानसिक रोग विभाग सी.एन.एस. मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण / तत्काल
संख्या-1893 / पांच-7-2005-पन्द्रह-7 / 05

प्रेषक,

लीना जौहरी,
विशेष सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2005

विषय : विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1466/5-7-2003-पन्द्रह-7/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-125/5-7-04-पन्द्रह-7/2002 दिनांक 9.1.04 एवं संख्या-1745/5-7-2000 दि. 12.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 2.7.2003 के पैरा-4 में आंशिक संशोधन करते हुए विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु निम्नलिखित को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. आर्मी में तथा केन्द्र सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त मानसिक रोग विशेषज्ञों तथा क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किये गये परीक्षणों के उपरांत जारी किया गया मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र भी, स्थानीय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत मान्य होगा।
2. इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग बोर्ड में बुलाये जा रहे निजी क्षेत्र के मानसिक रोग विशेषज्ञों एवं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट्स को कुछ धनराशि मानसिक विकलांग अभ्यर्थियों के अभिभावकों से प्राप्त कर उन्हें फीस के रूप में भुगतान किया जाये। इसके लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को माह में एक या दो बार ही बोर्ड में तब बुलाया जाये जबकि मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या सात या इससे अधिक हो। इन अभ्यर्थियों के अभिभावकों से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ली जाने वाली फीस के बराबर फीस ली जायेगी तथा एकत्र फीस का 60% मानसिक रोग विशेषज्ञ को तथा 40% क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को प्रति अभ्यर्थी की दर से फीस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में अभिभावकों द्वारा भुगतान की गई फीस की रसीद भी जारी की जाये और इसका पूरा लेखा-जोखा रखा जाये।

भवदीय,
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

संख्या : 1893(1)/5-7-05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-1 / समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
3. निदेशक, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव